न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— मूल चन्द, आर.ए.एस.

अपील संख्या—2018/00460(341/2018)

1—सुपारी पुत्री गणपत पत्नी पूर्णचन्द जाति नायक निवासी भागवां हाल सानीआना तहसील व जिला फतेहाबाद हरियाणा।

2— सिलोचना पुत्री गणपत पत्नी राजू जाति नायक निवासी भागवां हाल ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

———रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.08.2018 न्यायालय उपखण्डाधिकारी, भादरा प्रकरण संख्या 185/2017

उपस्थित— श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलान्टस

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांक 11.04.2019

1—प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्टस ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया वाद में गांव भागवा तहसील भादरा की खाता संख्या 26/31 के ख0 न0 81,154,155,159,257,260,385 व 404 की कुल 17.424 है0 बारानी भूमि में रतनी पत्नी गणपत, भागसिंह, महेन्द्रपाल पि0 गणपत तीनो का ब0 हि0 ब0 275—3/4 हिस्सा अर्थात वादीगण की माता रतनी के नाम 1/3 हिस्सा की 91—11/12 हिस्सा दर्ज होने से रतनी द्वारा वादीगण के हक में बरोबरू गवाहान दिनांक 29.10.2015 को वसीयत तहरीर कर देने के आधार पर प्रश्नगत भूमि में रतनी पत्नी गणपत का नाम कलमंजन कर उसके स्थान पर दोनो वादीगण को ब0 हि0 ब0 91—11/12 का खातेदार काश्तकार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् पेश हुआ जिस पर विचारण न्यायालय ने दावा वादीगण साबित नहीं होने के कारण खारिज किया गया है। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2—उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3— विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वाद उदघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का था अपीलान्टा की माता ने 29.10.2015 को

राजस्व अपील प्राधिकारी

Web Copy Not Official

रजिस्टर्ड वसीयत अपीलान्टस के हक में निष्पादित कर दी थी। वसीयत के गवाह नोनिहाल व नोटेरी विजयपाल सिंह एवं अपीलान्टस ने वसीयत के सही होने को बतौर गवाह न्यायालय में पेश होकर सिद्ध किया है। अन्य किसी को आपत्ति बाबत् भी अखबार में नोटिस साया करवाया गया है। विचारण न्यायालय में किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण दावा अपीलान्टस डिक्री योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रभावित पक्षकारान को पर्याप्त सुनवाई का अवसर नहीं देने के आधार पर दावा सिद्ध नहीं होना मानकर गलत खारिज किया है जबकि रतनी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसरण में प्रश्नगत भूमि की सम्पूर्ण स्वामिनी होने से वह अपनी भूमि की वसीयत करने हेतू पूर्णतः अधिकृत थी इसलिए अपील स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावे।

4—विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांटस ने जो वाद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया वह सिद्ध नहीं किया है दावा में रतनी के समस्त वारिसान को पक्षकार भी नहीं बनाया गया था इस कारण दावा सही रूप से खारिज किया है अपीलाधीन निर्णय यथावत रखे जाने का कथन किया।

5—उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6—अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा वाद उदघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादीगण द्वारा अपनी माता रतनी के नाम अभिलेख में दर्ज भूमि की उदघोषणा अपने नाम वसीयती उत्तराधिकारी होने के आधार पर चाही गई है विचारण न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2071—74 प्रदर्श—1 प्रस्तुत की है जिसमें रतनी का 275—3/4 हिस्सा भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज है। प्रदर्श—2ए वसीयत जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित है प्रस्तुत हुई है। व प्रदर्श—4 आवेदन पत्र तहसीलदार राजस्व भादरा के नाम वसीयत के आधार पर नामांतकरण दर्ज करने बाबत् पेश हुआ की नकल प्रस्तुत हुई है। नकल नोटेरी रजिस्टर प्रदर्श—5 प्रस्तुत हुई है। परन्तु वसीयत में रतनी द्वारा यह अंकित किया गया है कि मेरे दो पुत्र व चार पुत्रियां है दो पुत्रो का स्वर्गवास हो चुका है और चारो पुत्रियां मौजुद है परन्तु वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष रतनी देवी के अन्य वारिसान को पक्षकार नहीं बनाते हुए वाद प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय वादीगण को यह निर्देश दे सकते थे कि रतनी देवी समस्त वारिसान को पक्षकार बनावे परन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निर्देश जारी ना करते हुए दावा वादीगण खारिज कर दिया एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 पर भी विचारण न्यायालय द्वारा अपना कोई मत प्रतिपादित किये बिना जो निर्णय पारित किया है वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है जबकि विचारण न्यायालय को रतनी देवी के सभी वारिसान को दावा में पक्षकार बनाते हुए उनको साक्ष्य सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान करते हुए दावा का निर्णय गुणावगुण पर करना चाहिए था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य एवं अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेति किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेशण के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है उपखण्डाधिकारी भादरा का निर्णय दिनांक 30.08.2018 निरस्त किया जाता है प्रकरण उपखण्डाधिकारी भादरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कि दावा में रतनी के सभी वारिसान को पक्षकार बनाकर उभय पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समूचित अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे एवं अपीलान्टस को हिदायत दी जाती है कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष रतनी के समस्त वारिसान को पक्षकार बनाने हेतू आवेदन पत्र प्रस्तुत करे। उभयपक्ष दिनांक 13.05.2019 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होवे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूल चन्द आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official